संख्या-19/2018/876/96-आयुष-2-2018-22(बी0)/2010

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0
8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक 12 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/17-18/1971, दिनॉक 07-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1251.09 मे से धनराशि रू0 38.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
2. वित्त विभाग बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-08-में उल्लिखित दिशा 2017 निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित करके कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी मदों में किया य उन्हींकृति धनराशि का व्यस्वी कृति की जा रही है।जायेगा जिस कार्य हेतु स्वी
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं उपयोग राज्य/ दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार 0प्र0इलाहाबाद व उ 0प्र0 , कराया जायेगा।शासन को उपलब्ध
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0ए0एल0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-19/2018/876(1)/96-आयुष-2-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
5- इकाई प्रभारी, आजमगढ़ उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 आजमगढ़।
6- प्राचार्य, रा0हो0 मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।